

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चौहटन जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी - रणछोड़ लाल, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 25/2023

अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्त.अधि.

वादी -

1. गेमराराम
2. हरखाराम
3. रेखु
4. फुली
5. धापु पि.
6. गालाराम
7. उममदेवी पत्नी प्रहलादराम
8. दीपाराम
9. अगेदाराम
10. टीकमाराम
11. चुनाराम
12. पारसराम पि. गाणकाराम
13. भीरोदेवी पत्नी गाणकाराम
14. नेताराम
15. रमेश पि. मोतीराम
16. गोमीदेवी पत्नी गोतीराम
17. कुम्पाराम पुत्र आम्बाराम
18. अनारीदेवी पत्नी आम्बाराम
19. फौत का.गु. वादी सं. 16 जाति सुथार निवासी पनोणियो की ढाणी मते का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

वनाग

- प्रतिवादीगण - 1. अमराराम पुत्र कलाराम 2. अकबर, पुत्र लाधुराम 3. शान्ति पत्नी प्रतापाराम 4. लुणाराम 5. सोनाराम 6. पवन पि. हरजीराम 7. केकुदेवी पत्नी हरजीराम 8. हरीश 9. दुर्गेश 10. सन्तोष 11. बादामी पि. आसुराम 12. राहकवर पत्नी आसुराम 13. कवीता पुत्री पुराराम 14. उमेश 15. गोतम पि. काछुराम 16. दरिया पत्नी काछुराम 17. पपु 18. दुर्गाराम पि. काछुराम 19. कालुराम पुत्र देवाराम 20. नाजु पुत्री मोतीराम जाति सुथार निवासी पनोणियो की ढाणी कते का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 21. तहसीलदार/उपपंजीयक चौहटन

उपस्थित :- वादी वकील - श्री जगदीश पोटलिया

प्रतिवादी वकील - श्री प्रवीण चौधरी (प्रतिवादी सं. 4 से 19)


राज पेशेकार उपस्थित

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 19.12.2025



उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 से 19 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील चौहटन के मौजा पनाणियों की ढाणी (वर्तमान नवसृजित राजस्व ग्राम हुडों की ढाणी) के ख. सं. 24 रकबा 24.9286 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सा [QR Code] वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये [QR Code]।


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

खतेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	वरंग
गेमराराम वल्द मालाराम 1/30, हरखाराम पुत्र मालाराम 1/30, रेखू पुत्री मालाराम 1/30, फूली पुत्री मालाराम 1/30, धापू पुत्री मालाराम 1/30, उगमदेवी पत्नी प्रहलादराम 1/5, दीपाराम पुत्र माणकाराम 1/30, अमेदाराम पुत्र माणकाराम 1/30, टीकमाराम पुत्र माणकाराम 1/30, चूनाराम पुत्र माणकाराम 1/30, पारसराम पुत्र माणकाराम 1/30, गीरोदेवी पत्नी माणकाराम 1/30, नेताराम पुत्र मोतीराम 1/15, रमेश पुत्र मोतीराम 1/15, गोमीदेवी पत्नी मोतीराम 1/15, कूमपाराम पुत्र आम्बाराम 1/10, अनारीदेवी पत्नी आम्बाराम 1/10 जाति सुथार सा.देह खातेदार	24	8.0326	बा.सो.	1.53	कैसरिया
2 नाजू पुत्री मालाराम कौम सुथार सा.देह	24	0.2770	बा.सो.	0.05	कत्थई
3 अमराराम पुत्र कलाराम 96/231 अकबर पुत्र लाधूराम 9/77 शान्ति पत्नी प्रतापाराम 36/77 कौम सुथार सा.देह खातेदार	24	8.3095	बा.सो.	1.58	हरा
4 लूपाराम 1/15, सोनाराम 1/15, मदन 1/15, पि. हजारीराम, केकूदेवी पत्नी हरजीराम 1/15, हरीश 1/75, दुर्गेश 1/75, सन्तोष 1/75, बादामी 1/75 पि. आसूराम, राहकवर पत्नी आसूराम 1/75, कविता 1/6 पुत्री पूराराम, उमेश 1/30, गोतम 1/30 पि. काछुराम, दरिया पत्नी काछुराम 1/30, पपू पुत्री काछुराम 1/30, दुर्गाराम पुत्र काछुराम 1/30, कालूराम पुत्र देवाराम 1/3 कौम सुथार सा.देह खातेदार	24	8.3095	बा.सो.	1.58	गुलाबी

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफतर हो।

(रणधी लाल)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन